

उच्च न्यायालय म0प्र0 : जबलपुर

आदेश


क्रमांक A/6173  
प्रोटो0अनु0,

जबलपुर 13/08/24

प्रति,

कोर्ट अटेंडेंट  
उच्च न्यायालय जबलपुर

कार्यालय/बंगला में पदस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निर्धारित गणवेश में कर्तव्य पर नियमित रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, अतः समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित गणवेश पहनकर कर्तव्य पर उपस्थित हों, अन्यथा निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

  
(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार(प्रशान्त)